कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर, जिला–जयपुर (राज0)

क्रमांकः 5355-5361/स्था0 दिनांकः जून, 2020

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त पत्र क्रमांक Gen./XV/42/2020/3585 दिनांक 17.06.2020 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. प्रभारी अधिकारी, लेखाशाखा/रिकॉर्ड शाखा/प्रतिलिपि शाखा/लाईब्रेरी शाखा/रिर्टन शाखा/नजारत शाखा/ई–कोर्ट/न्यायिक सेवा केन्द्र, जिला न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर।
2. समस्त अधीनस्थ न्यायालय (विशिष्ट न्यायालयों सहित) जयपुर जिला, जयपुर न्यायक्षेत्र।
3. प्रशासनिक अधिकारी/निजी सहायक/रीडर ग्रेड–प्रथम, जिला न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर।
4. सिस्टम आफिसर, जिला न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर को इस न्यायक्षेत्र की बेवसाईट पर अपलोड/न्यायालयों को ई–मेल करने हेतु।

18/6/2020

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जयपुर जिला, जयपुर (राज0)

RAJASTHAN HIGH COURT

No. Gen/XV/42/2020/3585 Dated- 17.06.2020

To

All the District & Sessions Judges,
Rajasthan.

Sub- Regarding functioning of Subordinate Courts/ Special Courts/ Tribunals from 15.06.2020 to 28.06.2020.

Ref.- This office Circular No.PI/2020/20 dated 12.06.2020 and Representation dated 15.06.2020 of the Rajasthan Nyayik Karamchari Sangh.

Sir,

The Rajasthan Nyayik Karamchari Sangh has submitted a representation dated 15.06.2020 (copy enclosed), raising concerns of infection of COVID-19 virus amongst Court staff and their family members due to opening of all the Courts from 15.06.2020. The Karamchari Sangh has submitted that in view of rising cases of COVID-19 infection, the previous practice of working only with limited number of Courts and limited staff on rotational basis be continued for safety of the Court staff and their family members.

In this context, I am under direction to draw your attention to this office Circular dated 12.06.2020 in which all possible preventive measures have been duly incorporated to limit the gathering in Court premises and to contain the spread of COVID-19. Liberty has been given to the Presiding Officers to permit the Court staff to leave for home before office hours on rotational basis. Court staff residing in containment zones/restricted areas/ areas under curfew or under quarantine/isolation has not been permitted in the Court premises. Court staff having flu like symptoms would take leave as per medical advice. The District & Sessions Judges for District Headquarters and Senior Most Judicial Officers for Taluka Headquarters have been authorised to make all the necessary arrangements to limit the gathering in Court premises and Court rooms. Besides this, all preventive measures for containment of spread of COVID-19 have been directed to be taken up while strictly following the relevant instructions and guidelines of the Central/State Government.

Therefore, you are requested to effectively comply with all the directions contained in Circular dated 12.06.2020 for containment of COVID-19 in Court premises so that safety of the Court staff is ensured.

Warm regards,

Yours sincerely

1015
18-6-20

राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ

प्रधान कार्यालय : बनी पार्क, जयपुर (राजस्थान)

वर्तमान कार्यालय : C-27, 3rd Floor, New Court Campus, Bikaner (Rajasthan)

(राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त)

सुरेन्द्र नारायण जोशी	रमेशचन्द्र दशोरा	ओमप्रकाश शर्मा
(प्रदेशाध्यक्ष)	(महामंत्री)	(सभाध्यक्ष)
मो. 9828811100	मो. 9828443633	मो. 9660906080

rajnyaykarm@gmail.com surendrajoshi058@gmail.com

क्रमांक : राज.न्यायिक.कर्म.संघ / 2020 / 144 दिनांक : 15 / 06 / 2020

प्रेषिति : श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय,
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर / बेंच जयपुर

विषय : श्रीमान्जी के परिपत्र क्रमांक 14 / पी.आई / 2020 दिनांक 14 / 04 / 2020 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य व्यवस्था सुचारू रखने बाबत्।

सन्दर्भ : इस कार्यालय का पत्र क्रमांक राज.न्यायिक.कर्म.संघ / 2020 / 142 दिनांक 12 / 06 / 2020।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान्जी के परिपत्र क्रमांक 20 / पीआई / 2020 दिनांक 12 / 06 / 2020 के द्वारा सभी अधीनस्थ न्यायालय खोले जाने एवं सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर उपस्थित रहने के आदेश पारित किये गये हैं। साथ ही जुर्म स्वीकार, राजीनामा एवं विड्रॉ के माध्यम से निस्तारण योग्य प्रकरणों की सुनवाई भी अनुमत की गयी है।

इस सम्बन्ध में सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्रीमान्जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण अत्यधिक अनियंत्रित स्थिति में है। ऐसी स्थिति में यदि सभी न्यायालय खोले जाकर सभी कर्मचारियों को ड्यूटी हेतु बुलाया जाता है तो उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की सम्भावनाएं बढ़ जायेगी, जिसका दुष्प्रभाव उनके परिजनों एवं बच्चों पर भी पड़ेगा। साथ ही लॉकडाउन की अवधि में सभी पुलिस थानों में लाखों वाहन सीज किये गये हैं, जिन्हें छुड़ाने के लिए अभियुक्त एवं अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होंगे एवं विविध प्रार्थना–पत्रों,

रमेशचन्द्र दशोरा	सुरेन्द्र नारायण जोशी
(महामंत्री)	(प्रदेशाध्यक्ष)
राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ	राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ
	rajnyaykarm@gmail.com
	surendrajoshi058@gmail.com

न्यायिक आदेश की पालना में प्रस्तुत दस्तावेजों, राजस्व राशि इत्यादि के आदान–प्रदान हेतु न्यायालय में उपस्थित कर्मचारियों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सम्पर्क में आयेंगे।

ध्यातव्य है कि लॉकडाउन अवधि में जयपुर महानगर न्यायक्षेत्र में एक न्यायिक कर्मचारी एवं माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के एक वरिष्ठ कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाये गये थे। माह मई, 2020 में महाराष्ट्र के एक न्यायिक कर्मचारी का कोरोना संक्रमण के कारण देहान्त हुआ था, उत्तरप्रदेश के हापुड़ जिले में एक वरिष्ठ न्यायिक कर्मचारी की भी कोरोना संक्रमण के कारण दुःखद मृत्यु हुयी थी, जिस पर न्यायिक अधिकारी सहित 18 संक्रमित व्यक्तियों को क्वारेंटाइन किया गया था, 11 जून, 2020 को कानपुर न्यायालय परिसर में भी 21 वकील कोरोना पॉजिटिव मिले थे, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इन्दौर बेंच में न्यायाधिपति महोदय कोरोना संक्रमित पाये जाने के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गयी थी, दिल्ली के रोहिणी जिला न्यायालय में न्यायाधीश महोदय एवं उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाये गये थे, सिरसा में जिला कारागृह में बन्द दो आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के कारण सिरसा सीजेएम एवं उनके स्टॉफ सहित 11 व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन किया गया था।

सन्दर्भित पत्र के माध्यम से उक्त समस्त परिस्थितियों से श्रीमान् को अवगत कराया जाकर पूर्ववत् न्यूनतम आवश्यक न्यायालय खोले जाने एवं न्यूनतम आवश्यक कर्मचारियों को ही ड्यूटी हेतु बुलाये जाने के सम्बन्ध में निवेदन किया गया था, किन्तु उक्त पत्र पर श्रीमान्जी द्वारा सहानुभूतिपूर्वक एवं गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया है एवं कर्मचारियों और उनके परिजनों के हितार्थ कोरोना संक्रमण से सुरक्षा हेतु प्रभावी आदेश प्रदान नहीं किये गये है, जिससे सभी न्यायिक कर्मचारियों में भारी भय, रोष एवं असुरक्षा व्याप्त है एवं वे अपने तथा अपने परिजनों की सुरक्षा को लेकर चिन्तित है और किसी भी परिस्थिति में जीवन के अधिकार से समझौता नहीं चाहते हैं।

अतः श्रीमान्जी से पुनः निवेदन है कि इस सम्बन्ध में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुये न्यूनतम आवश्यक न्यायालय खोले जाने एवं न्यूनतम आवश्यक कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करावें। उपरोक्त आदेश के अभाव में न्यायिक कर्मचारीगण की जनभावना एवं उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये न्यायिक कर्मचारी संघ के आवाहन पर सभी कर्मचारियों को दिनांक 15/06/2020 से सामूहिक अवकाश पर जाने हेतु विवश होना पड़ेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी माननीय उच्च न्यायालय प्रशासन की होगी।

आदर सहित

भवदीय	भवदीय
रमेशचन्द्र दशोरा	सुरेन्द्र नारायण जोशी
(महामंत्री)	(प्रदेशाध्यक्ष)
राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ	राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ

rajnyaykarm@gmail.com
surendrajoshi058@gmail.com